न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द, सहारनपुर।
प्रकीर्ण वाद संख्या– 163 सन 2026

प्रताप सिंह **बनाम** **रोबिन आदि।**

अं.धारा 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

दिनांक–18.08.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. में विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम तल्हेडी बुजुर्ग का रहने वाला है। प्रार्थी देवबन्द न्यायालय में वकालत करता है तथा शिक्षक नगर, देवबन्द मे अस्थायी तौर पर रहता है। दिनांक 09–07–2026 को समय करीब 9:00 बजे सुबह प्रार्थी अपने खेत खसरा नं0 161क, 161ख स्थित ग्राम मनोहरपुर पर फेरा मारने गया, तो देखा कि उक्त खसरा नम्बरान के पश्चिम व उत्तर दिशा मे स्थित दीवार को मुलजिमान रोबिन पुत्र रूपचन्द निवासी ग्राम तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द जिला सहारनपुर व फुरकान पुत्र सगीर अहमद निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर तोड रहे है, प्रार्थी ने उक्त दीवार को तोडने से उन्हे मना किया, तो मुलजिमान ने प्रार्थी को मां, बहन की गन्दी गन्दी गालियां दी तथा जान से मारने की धमकी दी और प्रार्थी के ऊपर हमलावर हुए तथा प्रार्थी की जेब से जबरदस्ती 1170 रु० निकाल लिये। यह वाका रविदत्त पुत्र पुत्र बालेश्वर निवासी ग्राम चिराऊ थाना बडगांव जिला सहारनपुर व अरविन्द कुमार एडवोकेट पुत्र प्रमोद कुमार निवासी ग्राम बन्हेडा खास थाना देवबन्द जिला सहारनपुर, जो प्रार्थी के साथ थे, ने देखा। प्रार्थी व गवाहान ने मुलजिमान से अपने 1170ध–रु0 वापिस लेने चाहे, लेकिन मुलजिमान चाकू का भय दिखाकर प्रार्थी से लूटे हुए 1170ध–रु० अपने साथ लेकर चले गये। प्रार्थी उक्त घटना की सूचना थाना देवबन्द पर दी, थाने वालो ने कोई कार्यवाही नही की, इसलिये प्रार्थी ने कुल वाके का प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, सहारनपुर के समक्ष बजरिये रजिस्ट्री डाक भेजा और प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र अ०धारा 173 (4) बी०एन०एस०एस० न्यायालय मे प्रस्तुत कर रहा है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, एक किता प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मय डाक रसीद, एक किता आधार कार्ड दाखिल किया गया है।

सम्बन्धित थाने से आख्या तलब की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के सम्यक अवलोकन से विदित होता है दिनांक 09–07–2026 को प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा संख्या 161क एवं 161ख, ग्राम मनोहरपुर पर जाने के दौरान अभियुक्तगण रोबिन पुत्र रूपचन्द एवं फुरकान पुत्र सगीर अहमद द्वारा उक्त खेत की पश्चिमी एवं उत्तरी दिशा में स्थित दीवार को तोड़ा जा रहा था। प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ गाली–गलौज, जान से मारने की धमकी तथा मारपीट का प्रयास किए जाने और उसकी जेब से 1,170 जबरन निकाल लिए जाने का आरोप लगाया गया है। यह भी आरोप है कि जब प्रार्थी एवं उसके साथ मौजूद गवाहों द्वारा उक्त धनराशि वापस मांगी गई, तो अभियुक्तगण द्वारा चाकू का भय दिखाकर धनराशि अपने साथ ले जाई गई। प्रार्थना–पत्र में घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में रविदत्त पुत्र बालेश्वर एवं अरविन्द कुमार एडवोकेट पुत्र प्रमोद कुमार के नाम अंकित किए गए हैं। प्रार्थी द्वारा जिस प्रकार के तथ्यों का वर्णन किया गया है उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में मामले को परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर कर न्याय के उद्देश्य की वास्तविक पूर्ति नहीं हो सकेगी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में जिस प्रकार के तथ्यों का वर्णन किया गया है, उक्त तथ्य प्रथम दृष्टया ही संज्ञेय अपराध का घटित होना प्रदर्शित करते हैं तथा समस्त तथ्य ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में सम्यक विवेचना कराया जाना ही न्यायोचित होगा।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था फौजदारी प्रकीर्ण याचिका **संख्या 781 वर्ष 2012 निर्णय दिनांकित 19–03–2015 श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव व एक अन्य बनाम उ.प्र.राज्य एवं अन्य विनिर्णय रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (43) ए.सी.सी. पेज 50** एवं माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित **विनिर्णय सुखवासी**

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 472 में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों एवं प्रस्तुत मामलों के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मामले के सत्य के अन्वेषण हेतु विवेचना कराया जाना न्यायोचित होगा, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

आदेश

सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित थानाध्यक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब न्यायालय प्रेषित करें। आदेश की प्रति सम्बन्धित लिपिक सम्बन्धित थाने को अविलम्ब प्रेषित करें।

(आशीषानन्द)
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवबन्द, सहारनपुर
जे.ओ.कोड यू.पी. 3698